।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 22.09.2021 को सम्पन्न हुई खुला बंदी शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना में राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 22.09.2021 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री आलोक वशिष्ठ, सदस्य
   कार्यवाहक अति. महानिदेशक कारागार
   राजस्थान, जयपुर।

2. श्री भवानी शंकर, सदस्य
   वरिष्ठ शासन उप सचिव,
   गृह (ग्रुप-12) विभाग
   राजस्थान, जयपुर।

3. श्री विक्रम सिंह, सदस्य
   महानिरीक्षक कारागार
   राजस्थान, जयपुर।

4. श्रीमती मोनिका अग्रवाल, सदस्य सचिव
   उप महानिरीक्षक कारागार
   रेंज, जयपुर।

5. श्री रमेश कुमार दहमीवाल, सदस्य
   सहायक निदेशक (परिवीक्षा)
   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।

निम्न 07 बंदियों के खुला बंदी शिविर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये :-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक
श्रीकान्त पुत्र बालचन्द उर्फ वेलचन्द	के.का. जोधपुर	76/2021	13.07.2021

2

अमित उर्फ छोटू पुत्र ताराचंद	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	605/2021	26.08.2021
हरदयाल पुत्र रामबाबु	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	1457/2021	10.09.2021
सोनू उर्फ रियासत अली पुत्र निसार अहमद	के.का. कोटा	1323/2021	08.09.2021
महेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर लाल	के.का. बीकानेर	1315/2021	12.08.2021
नरेन्द्र कुमार पुत्र श्रवण कुमार	के.का. बीकानेर	1313/2021	12.08.2021
गोपाल मण्डल पुत्र मनमोहन मण्डल	के.का. जयपुर	1338/2021	30.07.2021

स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

1. श्रीकान्त पुत्र बालचन्द उर्फ वेलचन्द, के.का. जोधपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 02 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 15.07.2021 को आयोजित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार कर ''बंदी के दिनांक 02.07.2019 को प्रात:काल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार होने एवं दिनांक 05.07.2019 को जेल दाखिल कराये जाने (कुल 03 दिवस फरारी) तथा फरारी प्रकरण में विचाराधीन होने से समिति द्वारा बंदी को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।''

बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या 76/2021 दायर की, जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 13.07.2021 को निर्णय पारित कर बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर 1,00,000/-(अक्षरे रूपये एक लाख मात्र) की जमानत व अधीक्षक जेल की संतुष्टि पर रिहा करने हेतु आदेशित किया तथा बंदी के नियमित पैरोल के दौरान संतोषप्रद आचरण एवं समय पर जेल दाखिल होने पर बंदी को खुला बंदी शिविर, बीछवाल में भेजे जाने हेतु प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने हेतु आदेशित किया है।

2

बंदी 20 दिवस नियमित पैरोल का उपभोग कर दिनांक 21.08.2021 को नियत समय पर जेल दाखिल हो गया है तथा पैरोल के दौरान आचरण शिकायतरहित रहा है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी श्रीकान्त पुत्र बालचन्द उर्फ वेलचन्द को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

1. अमित उर्फ छोटू पुत्र ताराचंद, वि.के.का. श्यालावास (दौसा)

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा 09 वर्ष की बालिका के साथ सूनी हवेली में बलात्कार करने एवं उसके पश्चात् चुन्नी से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या करने तथा हत्या के पश्चात् साक्ष्य को छिपाने के लिये उसके शव को हवेली की बुखारी में डालकर छिपाया गया। दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख नहीं अपनाया जाकर धारा 376 (2) एफ आई.पी.सी. में आजीवन कारावास, धारा 302 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास एवं धारा 201 आई.पी.सी. में 03 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को प्रतिबंधित धारा 376 (2) एफ आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। बंदी की वर्तमान में आयु 34 वर्ष है और खुला बंदी शिविरों में बंदियों के परिजन भी निवास करते है जिनमें उनकी पत्नी और पुत्रियां भी रहती है। बंदी को खुला शिविर में भिजवाये जाने से उसके द्वारा पुनः ऐसी घटना कारित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः बंदी द्वारा कारित अपराध एवं उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी अमित उर्फ छोटू पुत्र ताराचंद को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

2. हरदयाल पुत्र रामबाबू, वि.के.का.श्यालावास (दौसा)

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 07 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा मात्र 06 वर्ष की अबोध बालिका को रात में सोते वक्त उठाकर पाटौर पर ले जाकर बलात्कार किया गया, बालिका के चिल्लाने पर पीड़िता के पिता नींद से जागकर बंदी हरदयाल को पकड़ लिया, हरदयाल उसके पिता को धक्का देकर भाग गया। दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी के प्रति नरमी का रूख नहीं अपनाकर, उसे कठोर सजा दिया जाना न्यायोचित मानते हुए धारा 376 आई.पी.सी. व 4, 6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। बंदी की वर्तमान में आयु 30 वर्ष है और खुला बंदी शिविरों में बंदियों के परिजन भी निवास करते है जिनमें उनकी पत्नी और पुत्रियां भी रहती है। बंदी को खुला शिविर में भिज़वाये जाने से उसके द्वारा पुनः ऐसी घटना कारित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः बंदी द्वारा कारित अपराध एवं उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी हरदयाल पुत्र रामबाबू को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

3. सोनू उर्फ रियासत अली पुत्र निसार अहमद, के.का.कोटा

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 04 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़िता अनुसूचित जाति की महिला को दिनांक 04.06.2011 को दिन के 12.00 बजे से कन्या स्कूल कनवास के कमरे में परिरोध कर रखा गया तथा उसके साथ 05 अभियुक्तगणों द्वारा बारी-बारी से सामूहिक बलात्संग का अपराध कारित किया गया तथा उसके साथ मारपीट भी की गई, जो अत्यन्त जघन्य व गंभीर प्रकृति का अपराध है। इसलिये विधि अनुसार धारा 376 (2) (जी) आई.पी. सी. में आजीवन कारावास, धारा 342 आई.पी.सी. में 01 वर्ष साधारण कारावास, धारा 323 आई.पी.सी. में 01 माह साधारण कारावास व धारा 3 (2)(V) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।

2

बंदी को प्रतिबंधित धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। बंदी की वर्तमान में आयु 28 वर्ष है और खुला बंदी शिविरों में बंदियों के परिजन भी निवास करते है जिनमें उनकी पत्नी और पुत्रियां भी रहती है। बंदी को खुला शिविर में भिजवाये जाने से उसके द्वारा पुनः ऐसी घटना कारित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः बंदी द्वारा कारित अपराध एवं उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी सोनू उर्फ रियासत अली पुत्र निसार अहमद को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

4. महेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वरलाल, के.का.बीकानेर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 01 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

पीड़ित बालिका, जिसकी आयु 14 वर्ष 01 माह 08 दिवस थी, जब टेम्पो में प्रथम बार बैठी थी तो महेन्द्र व नरेन्द्र उस टेम्पो में मौजूद थे अभियुक्त महेन्द्र ने फोन करके अभियुक्त नाहरसिंह को बाद में बुलाया, जो बोलेरो गाड़ी लेकर आया। टैम्पो में बैठी बालिका को रास्ते चलते रोककर नाहरसिंह के साथ मिलकर उन्होंने पीड़ित बालिका, जो कि अवयस्क थी, को अयुक्त संभोग करने के आशय से ले जाकर व्यपहृत करने के उपरांत बारी-बारी से उसके साथ बोलेरो गाड़ी के अंदर बीच वाली सीट पर बलात्कार किया गया, जिसमें महेन्द्र द्वारा बालिका के साथ 02 बार तथा नाहरसिंह व नरेन्द्र द्वारा 01-01 बार बलात्कार किया गया।

एक अबोध बालिका के साथ 03 व्यक्तियों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया है। बालिका के साथ बलात्कार के समय बल प्रयोग किया गया है और उसे साधारण चोटें भी आई है बालिका के असहाय अवस्था में रखा गया और उसे मजबूरी में निर्वस्त्र होकर बचकर भागना पड़ा, जिसके फलस्वरूप वह मोटरसाईकिल से टकरा गई और गिरकर बेहोश हो गई। प्रकरण की स्थितियां अति गंभीर है। अबोध बालिकाएं समाज का सामूहिक दायित्व है और उनके शील, शरीर व सम्पूर्ण अस्तित्व की पूरे सम्मान के साथ रक्षा की जानी चाहिये। अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख नहीं अपनाया जाकर दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को धारा 341 आई.पी.सी. में 01 माह

साधारण कारावास, धारा 366 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं धारा 376 (डी) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी को प्रतिबंधित धारा 376 (डी) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। बंदी की वर्तमान में आयु 27 वर्ष है और खुला बंदी शिविरों में बंदियों के परिजन भी निवास करते है जिनमें उनकी पत्नी और पुत्रियां भी रहती है। बंदी को खुला शिविर में भिजवाये जाने से उसके द्वारा पुनः ऐसी घटना कारित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः बंदी द्वारा कारित अपराध एवं उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी महेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वरलाल को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

5. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्रवण कुमार, के.का.बीकानेर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 07 वर्ष 09 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पीड़ित बालिका, जिसकी आयु 14 वर्ष 01 माह 08 दिवस थी, जब टेम्पो में प्रथम बार बैठी थी तो महेन्द्र व नरेन्द्र उस टेम्पो में मौजूद थे अभियुक्त महेन्द्र ने फोन करके अभियुक्त नाहरसिंह को बाद में बोलेरो गाड़ी लेकर बुलाया। टैम्पो में बैठी बालिका को रास्ते चलते रोककर नाहरसिंह के साथ मिलकर उन्होंने पीड़ित बालिका, जो कि अवयस्क थी, को अयुक्त संभोग करने के आशय से ले जाकर व्यपहृत करने के उपरांत बारी-बारी से उसके साथ बोलेरो गाड़ी के अंदर बीच वाली सीट पर बलात्कार किया गया, जिसमें महेन्द्र द्वारा बालिका के साथ 02 बार तथा नाहरसिंह व नरेन्द्र द्वारा 01-01 बार बलात्कार किया गया।

एक अबोध बालिका के साथ 03 व्यक्तियों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया है। बालिका के साथ बलात्कार के समय बल प्रयोग किया गया है और उसे साधारण चोटें भी आई है बालिका के असहाय अवस्था में रखा गया है और उसे मजबूरी में निर्वस्त्र होकर बचकर भागना पड़ा, जिसके फलस्वरूप वह मोटरसाईकिल से टकरा गई और गिरकर बेहोश हो गई। प्रकरण की स्थितियां गंभीर है। अबोध बालिकाएं समाज का सामूहिक दायित्व

2

है और उनके शील, शरीर व सम्पूर्ण अस्तित्व की पूरे सम्मान के साथ रक्षा की जानी चाहिये। अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख नहीं अपनाया जाकर दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को धारा 341 आई.पी.सी. में 01 माह साधारण कारावास, धारा 366 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं धारा 376 (डी) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी को प्रतिबंधित धारा 376 (डी) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। बंदी की वर्तमान में आयु 28 वर्ष है और खुला बंदी शिविरों में बंदियों के परिजन भी निवास करते है जिनमें उनकी पत्नी और पुत्रियां भी रहती है। बंदी को खुला शिविर में भिजवाये जाने से उसके द्वारा पुन: ऐसी घटना कारित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अत: बंदी द्वारा कारित अपराध एवं उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी नरेन्द्र कुमार पुत्र श्रवण कुमार को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

6. गोपाल मण्डल पुत्र मनमोहन मण्डल, के.का. जयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 05 वर्ष 09 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी खुला शिविर हेतु कारागृहों से प्राप्त प्रकरणों की दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में तैयार की गई। वरियता सूची में बंदी के उक्त तिथि को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने से खुला बंदी शिविर हेतु निर्धारित पात्रता 06 वर्ष 08 माह अर्जित नहीं होने के कारण बंदी का नाम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं है परंतु आज ही स्थिति में बंदी द्वारा 07 वर्ष 01 माह 26 दिवस की सजा भुगतने से पात्र है, किंतु वर्तमान में बंदी वरियता में नहीं है। खुला बंदी शिविर हेतु लम्बित कुल 1016 प्रकरणों में रिक्तियों के आधार पर क्रम संख्या 01 से 618 तक के खुला बंदी शिविर प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा सका है।

उक्त के अतिरिक्त राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम 1972 के नियम 6 (क) के अंतर्गत खुला बंदी शिविर में पात्र बंदियों को वरिष्ठता क्रम में भेजे जाने का प्रावधान है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में बंदी के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी गोपाल मण्डल पुत्र मनमोहन मण्डल को वरियता में आने पर खुला बंदी शिविर में भेजे जाने पर विचार किये जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य सहायक निदेशक (परिवीक्षा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।	**सदस्य सचिव** उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर।	**सदस्य** महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।	**सदस्य** वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–12) विभाग, राजस्थान जयपुर।	**सदस्य** कार्यवाहक अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर।	**अध्यक्ष** महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।